**आदेश 34, नियम 3 (1) के अधीन आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

आवेदक निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक निवेदन करता है

1. यह कि वाद में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति से सम्बन्धित बन्धक के पुरोबन्ध के लिए प्रस्तुत वाद में, इस न्यायालय ने तारीख...................प्रतिवादी (आवेदक) के विरुद्ध वादी के विरुद्ध एक प्रारम्भिक डिक्री पारित किया।
2. यह कि डिक्री के पैरा........ ... के अनुसरण में, प्रतिवादी................रुपये की एक रकम वादी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी था।
3. यह कि संपूर्ण देय रकम का संदाय न्यायालय की डिक्री के अधीन प्रतिवादी द्वारा किया जा चुका है देखें; रसीद दिनांकित................... जिसको आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जा रहता है।

**प्रार्थना**

अतएव, यह अति सादरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि अंतिम डिक्री प्रारम्भिक डिक्री में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों को परिदान करने के लिए वादी को आदेश करने वाली पारित | कर दी जाय और वादी को बन्धक रखी गयी सम्पत्ति को पुनः अंतरित करने का आदेश | दिया तथा वादी के सम्पत्ति का कब्जाधारी प्रतिवादी को बनाने का आदेश किया जाय। यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**आवेदक**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान..............**

**तारीख.............**